

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

77
③
Bharat Sarkar
Rail Mantralaya

.....

No. F(NG)I-73PM1/211.

New Delhi, dated: 8-11-1973.

The General Managers,
All Indian Railways, CLW, DLW and ICF.

The Chairman, Railway Service Commission,
Allahabad/Bombay/Calcutta/Madras/Muzaffarpur.

The Director General,
R.D.S.O., Lucknow.

The Chief Administrative Officers, Metropolitan Transport
Projects, Bombay, Calcutta, Delhi and Madras.

The General Manager, M.T.P., Calcutta.

Sub: Filling up vacancies of Traffic Apprentices
and Commercial Apprentices.

Reference Board's orders contained in letter No. F(NG)III-72RR1/18 dated 18th March, 1972 according to which 10% of the vacancies of Traffic and Commercial Apprentices in grade Rs. 205-280 should be filled on the basis of the limited departmental examination. The Board desire to clarify that the said limited departmental examination should be held on the pattern of competitive examination held for filling up posts of Senior Clerks in scale Rs. 130-300 against 10% quota in accordance with the instructions contained in their letter No. PC-60/RTP-3/1 dated 20.12.1961. The final panel should be drawn thereafter according to the merit position assigned by the Selection Committee.

D. P. Sarkar

(D.P. Sarkar)

Assistant Director, Establishment,
Railway Board.

Copy to F(NG)III Branch of Board's office.

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं० ई (एन०जी) 1-73पो०एच०/211

नया दिल्ली, दिनांक 8-11-73

सहायक निदेशक,
सभी भारतीय रेल, विस्तारगत रेल इंजन कारखाना,
डोगल इंजन कारखाना और सवारो डिब्बा कारखाना ।
अध्यक्ष, रेल सेवा बोर्ड,
इलाहाबाद/बम्बई/कलकत्ता/यमना ।
सहायक निदेशक,
अनुसंधान, अधिकृत एवं मानक संगठन,
लखनऊ ।
मुख्य प्रशासन अधिकारी,
सहायक निदेशक परीक्षण,
बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और यमना ।

विषय :- यातायात प्रशिक्षण और वाणिज्य प्रशिक्षण के
आलेखों का धरा जाना ।

बोर्ड के 18-3-1972 के पत्र सं० ई (एन०जी०) III-72 कार०आर०/18 में
समाविष्ट आदेशों के अनुसार 205-280 रु० के ग्रेड में यातायात और वाणिज्य प्रशिक्षण के 10 प्रति-
शत पद सौंपित विभागीय परीक्षा के आधार पर भरे जाने चाहिए । बोर्ड यह स्पष्ट कर देना
चाहता है कि उक्त सौंपित विभागीय परीक्षा बोर्ड के 20-12-1961 के पत्र सं० पो०सो०-60/
कार०पो०-3/1 में समाविष्ट अनुदेशों के अनुसार 130-300 रु० के वेतनमान में वरिष्ठ लिपिक
के 10 प्रतिशत जोड़े के पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न पर हो जाये । उक्त
बाद प्रकरण समिति द्वारा निर्दिष्ट योग्यता क्रम के अनुसार अंतिम नामिका तैयार हो जाये ।

हस्ताक्षर (डी०पो०सर्वकार)

सहायक निदेशक स्थापना
रेलवे बोर्ड ।

बोर्ड कार्यालय सं० ई (एन०जी०) III शाखा को प्रतिलिपि भेजित ।